अनुसूची १४–फारम सं0–४६२

आदेश–पत्रक

(देखें अभिलेख हस्तक, १६४१ का नियम १२६)

आदेश पत्रक – ता0.....से.....तक

जिला....., सं0....., सन् १६.....

केस का प्रकार.....

आदेश की क्रम संख्या कीस तारीख १	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर २	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी, तारीख–सहित ३

न्यायालय, क्षेत्रीय विकास पदाधिकारी, कोशी प्रमण्डल, सहरसा

ऑगनबाड़ी अपील वाद संख्या 113–56 / 2011

रूबी कुमारी – अपीलार्थी

वनाम

राज्य एवं अन्य – रेस्पोण्डेन्ट्स

–: आदेश :–

प्रस्तुत ऑगनबाड़ी अपीलवाद अपीलार्थी द्वारा निम्न न्यायालय, सहरसा का वाद संख्या 67 / 11–12 में दिनांक 28.04.12 को जिला प्रोग्राम पदाधिकारी, सहरसा द्वारा पारित आदेश के विरूद्ध जिला पदाधिकारी, सहरसा के न्यायालय में ऑगनबाड़ी अपीलवाद दायर किया गया जो स्थानान्तरित होकर इस न्यायालय में प्राप्त हुआ है ।

संक्षेप में मामला यह है कि आयुक्त कोशी प्रमण्डल, सहरसा द्वारा गठित जॉच दल के द्वारा सौरबाजार परियोजना अन्तर्गत ग्राम पंचायत, सहुरिया पश्चिम के ऑगनबाड़ी केन्द्र– सिमराहा, केन्द्र संख्या –145 की जॉच की गई । जिला पदाधिकारी के पत्रांक 431 / गो0 दिनांक 19.08.2011 द्वारा जिला प्रोग्राम पदाधिकारी ,सहरसा को जॉच प्रतिवेदन प्राप्त हुआ है । प्रमण्डलीय जॉच दल द्वारा उक्त ऑगनबाड़ी केन्द्र के जॉच के क्रम में ऑगनबाड़ी केन्द्र संचालन में निम्नलिखित अनियमितताएँ / त्रुटियॉ पाई गई :–

1. ऑगनबाड़ी केन्द्र में पंजीकृत बच्चों की संख्या 40 में से मात्र 10 बच्चे ही उपस्थित पाये गए ।
2. ऑगनबाड़ी सहायिका केन्द्र पर अनुपस्थित पायी गयी ।
3. टी0एच0आर0 का वितरण नहीं किए जाने का शिकायत लाभुकों द्वारा दल से किया गया ।
4. केन्द्र में अभिश्रव पंजी उपलब्ध नहीं था ।
5. ऑगनबाड़ी केन्द्र अनियमित रूप से संचालित की जाती है ।

प्रमण्डलीय जॉच दल द्वारा उक्त ऑगनबाड़ी केन्द्र संचालन में बरती गई अनियमितताएँ एवं त्रुटियॉ पाये जाने के आलोक में जिला प्रोग्राम पदाधिकारी, सहरसा के ज्ञापांक 90–1/दिनांक 25.08.2011 द्वारा ऑगनबाड़ी सेविका /सहायिका को स्पष्टीकरण समर्पित करने एवं निर्धारित सुनवाई की तिथि 29.08.11 को 11.00 बजे पूर्वा0 में निम्न न्यायालय में उपस्थित होने हेतु निदेशित किया गया वो दिनांक 29.08.11 को निम्न न्यायालय में सुनवाई की गई । सुनवाई में सेविका उपस्थित हुई तथा उनके द्वारा स्पष्टीकरण समर्पित की गई, परन्तु सुनवाई की तिथि को सहायिका अनुपस्थित रही एवं उनके द्वारा निम्न न्यायालय में स्पष्टीकरण भी समर्पित नहीं किया गया । ऑगनबाड़ी सेविका के स्पष्टीकण को संतोषप्रद पाते हुए कड़ी चेतावनी देते हुए स्पष्टीकरण से मुक्त किया गया तथा अपीलार्थी ऑगनबाड़ी सहायिका श्रीमती रूबी कुमारी को विगत एक साल से अनुपस्थित रहने के कारण निम्न न्यायालय द्वारा उनके विरूद्ध चयनमुक्ति का आदेश पारित किया गया।

अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता बहस के क्रम में कथन करते हैं कि ऑगनबाड़ी केन्द्र सिमराहा केन्द्र सं0– 145 में अपलीर्थी ऑगनबाड़ी सहायिका के पद पर योगदान की तिथि से उनके द्वारा अपने कर्त्तव्य का निर्वहन निष्ठा एवं ईमानदारी पूर्वक चयनमुक्ति के पूर्व तक की गयी है । अपीलार्थी के विरूद्ध पोषक क्षेत्र के लाभुकों द्वारा किसी भी स्तर पर कोई शिकायत नहीं की गई है। प्रमण्डलीय जॉच दल के सामने भी लाभुकों द्वारा ऑगनबाड़ी सेविका के विरूद्ध ही शिकायत की गई है । अपीलार्थी के विरूद्ध ऑगनबाड़ी सेविका से दुश्मनी रहने के कारण अपीलार्थी के विरूद्ध केन्द्र से विगत एक वर्ष से अनुपस्थित रहने की लिखित सूचना आंगनबाड़ी सेविका के द्वारा बाल विकास परियोजना पदाधिकारी, सौरबाजार तथा निम्न न्यायालय को दी गयी है। अपीलार्थी के विरूद्ध प्राप्त लिखित सूचना दिया गया, परन्तु बेबुनियाद आरोप रहने के कारण बाल विकास परियोजना पदाधिकारी, सौरबाजार द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई है ।

अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता बहस के क्रम में आगे कथन करते हैं कि अपीलार्थी पर लगे आरोप पर किसी भी स्तर से जॉच नहीं करायी गयी है तथा निम्न न्यायालय द्वारा भी बाल विकास परियोजना पदाधिकारी, सौरबाजार से अपीलार्थी के अनुपस्थिति की सत्यता के संबंध में जॉच प्रतिवेदन/ मंतव्य नहीं लिया गया है । अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता आगे कथन करते हैं कि जिला प्रोग्राम पदाधिकारी, सहरसा द्वारा उन पर लगाए गए आरोप पर अपीलार्थी से स्पष्टीकरण समर्पित करने तथा निर्धारित सुनवाई की तिथि के संबंध में कोई सूचना नहीं दी गई है। जिला प्रोग्राम पदाधिकारी, सहरसा के ज्ञापांक 90–1 दिनांक 25.08.2011 द्वारा अपीलार्थी को चयनमुक्ति की जानकारी प्राप्त हुई है। अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता आगे कथन करते हैं कि बिना कारण बनावटी आरोप लगाकर निम्न न्यायालय में अपीलार्थी के अनुपस्थिति में उनके विरूद्ध चयनमुक्ति का आदेश पारित की गई है । अपीलार्थी को उन पर लगाए गए आरोप की जानकारी एवं सुनवाई की निर्धारित तिथि की सूचना न देकर निम्न न्यायालय द्वारा आदेश पारित किया गया है जो विधिसम्मत नहीं है तथा नैसर्गिग न्याय के विरूद्ध है ।

अपीलवाद के सुनवाई के क्रम में रेस्पोण्डेन्ट 02 के विद्वान अधिवक्ता बहस के क्रम में कथन करते हैं कि ऑगनबाड़ी सेविका द्वारा

बाल विकास परियोजना पदाधिकारी, सौरबाजर को चार अभ्यावेदन पत्र एवं निम्न न्यायालय, सहरसा को विगत एक वर्ष से अपीलार्थी के केन्द्र से अनुपस्थित रहने की लिखित सूचना समर्पित की गई थी। विभिन्न तिथियों में समर्पित अभ्यावेदन की छाया प्रति भी अभिलेख में रक्षित हैं । रेस्पोण्डेन्ट 02 के विद्वान अधिवक्ता यह भी कथन करते हैं कि उपस्थिति पंजी की छाया प्रति के अवलोकन से यह स्पष्ट होता है कि अपीलार्थी का 22 मार्च'2010 से 31 दिसम्बर'2011 तक की अवधि कीं उपस्थिति पंजी में दर्ज नहीं है। अतएव अपीलार्थी पर लगे आरोप सही प्रतीत होता है एवं निम्न न्यायालय द्वारा नैसर्गिक न्याय को दृष्टिगत रखते हुए विधि सम्मत आदेश पारित किया गया है ।

विद्वान सरकारी अधिवक्ता बहस के क्रम में कथन करते हैं कि अपीलार्थी बहुत दिनों से ऑगनबाड़ी केन्द्र कार्य से अनुपस्थित रही है वो केन्द्र प्रभारी द्वारा इस सम्बन्ध में वरीय पदाधिकारी को समय–समय पर लिखित सूचना दी गई है। ऐसी स्थिति में निम्न न्यायालय द्वारा पारित आदेश सही एवं दुरूस्त हैं ।

उभय पक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं को सुना तथा अभिलेख में रक्षित सभी कागजात का सूक्ष्म अवलोकन करने के उपरांत पाया कि निम्न न्यायालय द्वारा विधिसम्मत आदेश पारित किया गया है इसमें किसी प्रकार की हस्तक्षेप की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है । अस्तु अपीलवाद अस्वीकृत। इसी के साथ वाद की कार्यवाही समाप्त की जाती है ।

लेखापित एवं संशोधित

9/5/14

क्षेत्रीय विकास पदाधिकारी,
कोशी प्रमण्डल,
सहरसा।

9/5/14

क्षेत्रीय विकास पदाधिकारी,
कोशी प्रमण्डल,
सहरसा।